

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

लक्ष्मीनारायण

बनाम काल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर. 148/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/04/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>लक्ष्मीनारायण</u></p> <p>पिता श्री <u>जानूराम मीणा</u></p> <p>निवासी- <u>मीणों का कंधारिया</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>मीणों का कंधारिया (पं. जालमपुरा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... <u>333 335</u> <u>338 339 340 343</u> <u>0.14 0.03</u></p> <p><u>0.10 0.21 0.20 0.39</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> कुल रकबा <u>1.0700</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>मीणों का कंधारिया (पं. जालमपुरा तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>333 335 338 339 340 343</u> <u>0.14 0.03 0.16 0.21 0.20 0.39</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> रकबा <u>1.0700</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000/-</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार रुपए</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>